

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी-2/ए-11/अलर्टनोटिस/2011/184

दिनांक 17/3/2011

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस


विषय :- औषधि "Lactyte-M (Maintenance Solution with 5% Dextrose) Multiple electrolytes and Dextrose Injection type-III IP 500ml B.No. G011003 Lot no. D, D/M-05/2010, D/E-4/2012 Manufactured by M/s. Albert David Ltd. B-12/13, Meerut road Indl Area, Ghaziabad-201003 जांच में अपमानक पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर के द्वारा औषधि "Lactyte-M (Maintenance Solution with 5% Dextrose) Multiple electrolytes and Dextrose Injection type-III IP 500ml B.No. G011003 Lot no. D, D/M-05/2010, D/E-4/2012 Manufactured by M/s. Albert David Ltd. B-12/13, Meerut road Indl Area, Ghaziabad-201003 का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो कि Govt. Analyst, Central Drug Laboratory, Kolkata की जांच रिपोर्ट No.27-2/2010-ss/rj-46/4446 dated 01-03-2011 के अनुसार निम्न कारण से गम्भीर रूप से अवगानक कोटि का पाया गया है :-

**"The sample does not conform to claim with respect to sterility and Bacterial endotoxins.**

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुए उपलब्ध स्टॉक को जांच करें एवं उक्त औषधि व निर्माता के अन्य औषधियों के नमूने जांच हेतु लेकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप सही आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से सूचित करें।




औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 17/3/2011

क्रमांक डीसी-2/ए-11/अलर्टनोटिस/2011/184

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. औषधि महानियंत्रक(भारत), एफओडीओभवन, सीओएचओईओबीओ कम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली-
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सीओडीओएसओसीओओ (नाथ जीन), कमला नेहरू नगर, गांधीबाबाद।
3. निजी सचिव, नाओ प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजो जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एनओआरओएचओएमओ, राजो जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आरओएचओएसओटीओपीओ, राजो जयपुर।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजो जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य/पोकओ/आईसी/एडस/एमओएसओयू/ईओएसओआईओ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचार, राजो जयपुर।
8. सचिव, एसओपीओओ, मुख्यालय।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजो जयपुर।
10. समस्त अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. प्रभारी, सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाइट [www.rajswasthya.nic.in/DrugControl](http://www.rajswasthya.nic.in/DrugControl) में लगाये।
14. रक्षित पत्रावली।



औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर।

